उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार
14, अशोक मार्ग, लखनऊ–226001
CIN: U40101UP1980SGC005065

संख्या : 63 –औ0सं0/उनिलि/2020–16/औ0सं0/2019 दिनांकः 24/01/2020

कार्यालय ज्ञाप

पूर्ववर्ती राज्य विद्युत परिषद के आदेश सं0 5344–WC/SEB(AS-IXX) 88-66-WBC/76 दिनांक 30.11.1988 द्वारा कारपोरेशन के अधिकारियों/कर्मचारियों को रू0 25000/– से रू0 1.00 लाख तक अनुग्रह प्रतिकर धनराशि दिये जाने की नीति विद्यमाना है।

उपर्युक्त के संबंध में उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा अपने कार्यालय ज्ञाप सं0 4829–औ0सं0/2018–66डब्लू0बी0सी0/76 दिनांक 26.12.2018 के द्वारा अनुग्रह क्षतिपूर्ति योजना के अंतर्गत देय अनुग्रह प्रतिकर धनराशि में वृद्धि की नीति को निदेशक मण्डल की दिनांक 31.12.2019 को पारित निर्णय के अनुसार उक्त कार्यालय आदेश को उत्पादन निगम में अंगीकृत किया जाता है। निदेशक मण्डल के पारित निर्णय के अनुपालन में एतद्द्वारा उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 में कार्यरत् अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवाकाल में मृत्यु होने पर अनुग्रह प्रतिकर धनराशि का पुनर्निर्धारण निम्नवत् किया जाता है :–

कम सं0	01.01.2016 से लागू सातवां वेतनमान की संरचना में वेतन मैट्रिक्स के अनुसार	अनुग्रह प्रतिकर की धनराशि
1	लेवल–1 से लेवल–5	रू0 50,000/–
2	लेवल–6 से लेवल–9	रू0 1,00,000/–
3	लेवल–10 से लेवल–11	रू0 1,50,000/–
4	लेवल–12 एवं उससे ऊपर के वेतन मैट्रिक्स	रू0 2,00,000/–

उक्त अनुग्रह धनराशि कर्मचारी/अधिकारी के धारित पद के अनुरूप होगी, समयबद्ध वेतनमान अथवा वित्तीय स्तरोन्नयन (ACP)से निर्धारण नहीं होगा। ओदश सं0 5344–WC/SEB(AS-IXX) 88-66-WBC/76 दिनांक 30.11.1988 की अन्य शर्ते यथावत् रहेंगी।

अनुग्रह प्रतिकर योजना का व्यय कारपोरेशन द्वारा अपने वित्तीय वर्ष के आय–व्यय बजट से किया जायेगा। अनुग्रह प्रतिकर योजना की धनराशि स्वीकृत करने हेतु ताप विद्युत गृहों के प्रमुख, निगम मुख्यालय स्तर पर मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक (लेखा), निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0) अधिकृत होंगें। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगा।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

CPM

कमशः –2

संख्या : 63 –औ0सं0/उनिलि/2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ के निजी सचिव, शक्ति भवन लखनऊ ।
2. निदेशक (कार्मिक)/(वित्त)/(तकनीकी)/(परियोजना एवं वाणिज्य) उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, के स्टाफ आफिसर लखनऊ ।
3. अध्यक्ष, उत्पादन सेवा आयोग, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ ।
4. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ ।
5. मुख्य अभियन्ता (स्तर–I) अनपरा/ओबरा/पारीछा/हरदुआगंज ताप विद्युत गृह।
6. मुख्य अभियन्ता (स्तर–I) तापीय परिचालन इकाई उनिलि शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
7. मुख्य अभियन्ता, पनकी तापीय परियोजना, कानपुर।
8. मुख्य अभियन्ता (स्तर–II) जवाहर पुर तापीय परियोजना, जवाहरपुर एटा।
9. मुख्य अभियन्ता (स्तर–II) आर0 एण्ड एम0 इकाई, उनिलि, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
10. मुख्य अभियन्ता(स्तर–II) (मा0सं0)/(जानपद नव परियोजना)/(वाणिज्य)/(पर्यावरण एवं सुरक्षा)/(ईंधन)/(पी0पी0एम0एम0) /(न्यू कोल ब्लाक)/(प्रगति) उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0,लखनऊ।
11. अधीक्षण अभियन्ता (मा0सं0–01/03/04/05/06/टा0वा0से0)/(प्रशिक्षण) उनिलि।
12. उप महाप्रबन्धक (मा0सं0–02) उनिलि, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
13. अधिशासी अभियन्ता (रिफार्म), उनिलि, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

भवदीय,

23/01/2020

(मो0 तस्नीम)
मुख्य अभियन्ता (औ0सं0)

16